


जज अदालत उपरवण्टाधिकारी मुकाम राजाखेड़ा  
अमीरचन्द बनाम रामचन्द्र  
 किस्म मुकदमा दावा नं. 95/11 सन्

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुये
------------	---------------------------------	---

22/6/18

आज यह परवण्टी राजख लोक अदालत  
 अधिवान न्याय आपके द्वार के मध्य खुलवा  
 में पेज हुई। परवण्टी राजख सुनवाई  
 एवं समझौते की गति। परवण्टी का उपस्थित  
 सिद्ध गाना कपीगण इस यह बाद प्रतिक्रिया  
 संख्य 1 नं-3 का उन्की उन्की उन्की से केवल  
 करने एवं स्वामी सिद्ध गाना से पाक्य फा  
 वापर पेज सिद्ध है। मजसे डाक की यद्य  
 के दौरान यह बगान गाना कि मोर पर  
 जमीन (बलि है) को ही करीब नही है।

इस दावा की उन्की सिद्ध पाकर  
 विवाह के दौरान 118 स्वयं 02 सिद्ध  
 किस्म में मुअजा, स्वयं गाना गोदरुम तहसील  
 राजखेड़ा पर अधिवान संख्य 1 नं-3 का  
 स्वामी सिद्ध गाना से पाक्य सिद्ध पाया है  
 कि उन्की करीब पा कपीगण की कुल की  
 जमीन पर को ही सिद्ध कर वाक्य न  
 को ही पर्य उन्की पाये है। परवण्टी फंड  
 उन्कार उन्कार बाद लफ्फील दाखिल कर  
 है। हुकम सुनाया गया

  
 उपखण्ड अधिकारी राजखेड़ा (धौलपुर) राजस्व लोक अदालत अधिवान न्याय आपके द्वार-2016